

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा

पत्रांक-मान्यता/32631/2013-14

दिनांक- 31.08.2013

प्रबन्धक

जे०एस०बी०पब्लिक स्कूल

(निकट राजकीय महाविद्यालय) जलेश्वर ।

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख, 31-10-2012 के आवेदन और इस संबन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29.8.2013 के प्रस्ताव संख्या 03 में शासनादेश दिनांक 8-5-2013 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार मैं जे०एस०बी०पब्लिक स्कूल (निकट राजकीय महाविद्यालय) जलेश्वर को दिनांक 1.07.2013 से 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम के अन्तर्गत कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यक्षीन है:-

- 1-मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा 6 से 8 में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आठ पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4-पंरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरिता प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरक्षक को किसी स्त्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा

- (I) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जाएगा।
- (III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण -पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शुल्कता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आयोगों के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि दिव्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करवाए जाएं।
- (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,
- (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निर्जी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यधर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संतुधियों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसविधाएं निम्नानुसार

कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय सह उपचार के लिए कक्षा

MANAGER
J.S.B. Public School
Jaleswar

Manag
Public School
Jaleswar, Etah

Principal
J.S.B. Public School
Jaleswar, Etah

MANAGER
J.S.B. Public School
Jaleswar, Etah

बालक और बालिकाओं के लिए प्रथम शौचासन
पेयजल सुविधा
भिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
वाधारहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता

- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 वा 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एंकाउंटेड द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14-आपके विद्यालय को ऑडिटेड मान्यता कोड संख्याक 04/29.6.2013 (अग्रेजी माध्यम, एटा) है। कृपया नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समर्पित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17-संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य निम्न शर्तें।

A- शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यपक-एक पद सहायक अध्यापक दस पद लिपिक- एक पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-तीन पद(आया सहित) अनुगन्ध होगा।

B- विद्यालय में शासनादेश दिनांक 8.5.2013 के विन्दु-09 में उल्लिखित नियमों के अनुरूप ही शुल्क लिया जायेगा।

C-मान्यता प्राप्ति के बाद विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान प्रबन्ध तंत्र अपने स्तर से करेगा।
D- शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार सचिव उओप्रो वेसिक शिक्षा परिषद को निहित होगा।

पृष्ठांकन सं० मान्यता/
प्रति लिपि निम्न की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
/2013-14 राद दिनांक

- 1-अपर शिक्षा निदेशक (वेसिक) उओप्रो इलाहाबाद।
- 2-मडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) अलीगढ।
- 3-जिला समाज कल्याण अधिकारी (वेसिक) एटा।
- 4-दिल एवं लेखाधिकारी (वेसिक) एटा।
- 5-संबंधित नगर शिक्षा अधिकारी जनपद एटा।

J.S.B. Public School
Jalsar, Etah

Principal
J.S.B. Public School
Jalsar, Etah



जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

Manager
J.S.B. Public School
Jalsar, Etah

PRINCIPAL
Fertilizer Public School
Srinjshaur